

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

प्रार्थी श्री कानजी व अन्य

कस्म मुकदमा धारा-128 भू-राजस्व अधिनियम

विपक्षी सरकार

प्रकरण संख्या 11/2025

कार्यवाही विवरण



--:निर्णय:--

दिनांक 23/06/25

उपस्थित:- श्री डुंगरलाल मीणा अधिवक्ता-प्रार्थी
पेरोकार सरकार तहसीलदार झल्लारा

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का पेश कर अंकित किया कि मौजा घटेड पटवार हल्का घटेड तहसील झल्लारा मे प्रार्थीगण के खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसकी खाता संख्या 126 आराजी नम्बर 801/0.1400, 880/0.0500 कुल किता 02 रकबा 0.1900 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 127 आराजी नम्बर 2997/927 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 889 रकबा 0.3900 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.5800 हैक्टेयर भूमि है। प्रार्थीगण की भूमि से सटमा आराजी नम्बर 803, 802, 800, 796, 881, 2926/879, 876, 874, 891 की भूमि का सीमांकन नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण व पडौसी खातेदारो के बीच सीमा को लेकर आए दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उक्त सीमांकन व पत्थरगढी नहीं होने से प्रार्थीगण अपने खेता में पक्की कोट या बाड भी नहीं कर सक रहा है। जिससे प्रार्थीगण की बोई फसल नष्ट हो जाती है और प्रार्थीगण को भारी नुकसान उठाना पडता है। प्रार्थना पत्र कारण अन्तिम बार दिनांक 20-01-2025 को तब उत्पन्न हुआ जब पडौसी आराजीयात के स्वामियों ने आपसी सहमति से सीमांकन करा पत्थरगढी करने से इन्कार कर दिया और प्रार्थी के खेता की बाड-कोट तोडने लगे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण की आराजीयात की भूमि की पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये समन सूचित किया गया। विपक्षी सं. 1 पेरोकार सरकार भूमिधारी तहसीलदार झल्लारा हाजिर आये जिन्होंने जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी की होकर प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थीगण के आराजीयात पर पत्थरगढी का निर्णय पारित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस में अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी का आदेश फरमावे जाने का निवेदन किया। विपक्षी की बहस अपने जवाब के अनुसार रही।

बहस मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की भूमि संयुक्त खातेदारी की होकर प्रार्थीगण का नाम दर्ज अंकित है। प्रार्थीगण अपने उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

सहायक कलक्टर सलुम्बर
जिला सलुम्बर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

प्रार्थी श्री कानजी व अन्य

कस्म मुकदमा धारा- 128 भू-राजस्व अधिनियम

विपक्षी सरकार

प्रकरण संख्या- 11/2025

कार्यवाही विवरण

—:आदेश:—

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा घटेड पटवार हल्का घटेड तहसील झल्लारा जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 126 आराजी नम्बर 801, 880 कुल किता 02 रकबा 0.1900 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 127 आराजी नम्बर 2997/927, 889 कुल किता 02 रकबा 0.5800 हैक्टेयर भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगढी किये जाने हेतु पत्थर मय मजदूर खडडा करने एवं रोपने के लिये तहसीलदार को उपलब्ध करवाएं। तथा पत्थरगढी शुल्क तहसीलदार, भू.अ.नि. व पटवारी का एक दिन का वेतन मय वाहन खर्च राजकोष में जमा करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सलुम्बर के नाम जारी की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर करे।

निर्णय दिनांक 23/06/25 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(Handwritten signature)

(परमजीत आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर सलुम्बर
उपखण्ड अधिकारी
सलुम्बर